

दिनांक-27.01.2025 को अपराह्न 03:00 बजे ईखायुक्त, बिहार की अध्यक्षता में गठित परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा हेतु आहूत बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :- संचिका में अलग से संधारित (छाया प्रति संलग्न)।

बैठक की कार्यवाही ईखायुक्त, बिहार की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई।

बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऑनलाइन के माध्यम से दिनांक-30.11.2024 तक प्राप्त आवेदनों का दिनांक-20.01.2025 को द्वितीय रैण्डमाइजेशन किया गया। रैण्डमाइजेशन के पश्चात् चयनित आवेदकों की समीक्षा बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के प्रावधानों के तहत गठित परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा की गयी।

समीक्षोपरान्त परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा निम्न आवेदन को चयन किया गया:-

Sl. No.	Application No.	Applicant Name	Category	Cane Office	Project Unit Size	Remarks
1	20241030271	SMT. SANDHYA PRASAD, PROP: M/S HARSABARDHAN INDUSTRIES	GEN	GOPALGANJ	Largest (Above 60 TCD)	Approved

2. परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा निम्न आवेदन को अस्वीकृत किया गया:-

Sl. No.	Application No.	Applicant Name	Category	Cane Office	Project Unit Size	Remark
1	20241118376	JITENDRA KUSHWAHA	GEN	SP CO GOPALGANJ	Small (5-20TCD)	Not Approved SP CO, Gopalganj not recommended due to lack of DPR.

परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा चयनित आवेदन को इस शर्त के साथ अनुशंसित किया गया कि संबंधित ईख पदाधिकारी द्वारा आवेदन में संलग्न किये गये सभी दस्तावेजों का गहनतापूर्वक जाँच करने के उपरान्त तथा आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित स्वघोषणा-पत्र (अनुसूची-I) एवं नेट वर्थ प्रमाण-पत्र (अनुसूची-II) प्राप्त कर कार्यादेश/स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जायेगा। विभागीय पत्रांक-1319/ई०का० दिनांक-13.12.2024 के माध्यम से सभी ईख पदाधिकारी/विशेष ईख पदाधिकारी को स्वघोषणा-पत्र एवं नेट वर्थ प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का निदेश पूर्व में दिया जा चुका है। कार्यादेश में परियोजना स्वीकृति के उन शर्तों का भी उल्लेख किया जायेगा जो मार्गदर्शिका में विहित है।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

ह०/-
संयुक्त निदेशक,
ईख विकास, गन्ना
उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

ह०/-
संयुक्त ईखायुक्त,
गन्ना उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

ह०/-
आंतरिक वित्तीय
सलाहकार, गन्ना
उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

उप सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

ह०/-
ईखायुक्त,
बिहार, पटना।

कृ०पृ०उ०.....2

ज्ञापांक-02/रेगु०-02-600-6/2024-148/इ.का. /पटना, दिनांक- 30 जनवरी, 2025
 प्रतिलिपि-सभी ईख पदाधिकारी/सभी विशेष ईख पदाधिकारी/सहायक ईखायुक्त
 (मु०)/सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/उप सचिव,
 गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, ईख विकास, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार,
 पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
 कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-02/रेगु०-02-600-6/2024-148/इ.का. /पटना, दिनांक- 30 जनवरी, 2025
 प्रतिलिपि-वरीय तकनीकी निदेशक, NIC, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
 हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-02/रेगु०-02-600-6/2024-148/इ.का. /पटना, दिनांक- 30 जनवरी, 2025
 प्रतिलिपि-सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार, पटना के
 निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-02/रेगु०-02-600-6/2024-148/इ.का. /पटना, दिनांक- 30 जनवरी, 2025
 प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ
 प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-02/रेगु०-02-600-6/2024-148/इ.का. /पटना, दिनांक- 30 जनवरी, 2025
 प्रतिलिपि-आई० टी० प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर
 अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।